न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भगीरथ साख, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या 234/2016

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956

अनवान

नन्दलाल पिता रामस्वरूप सेन जाति नाई उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान) **प्रार्थी**

बनाम

1. कैलाश पिता प्यारचन्द सेन (नाई) उम्र वयस्क निवासी कोटडी
2. राधेश्याम पिता बन्शीलाल सेन (नाई) उम्र वयस्क निवासी कोटडी
3. लाड देवी पत्नि दुर्गालाल सेन (नाई) उम्र वयस्क निवासी कोटडी
4. घीसी देवी पत्नि रामचन्द्र शर्मा उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
5. काना पिता नानूराम माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
6. बालीया पिता देवा माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
7. नारायण पिता गुलाब माली उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी
8. सोहन लाल पिता घीसा माली (फूलवाला) उम्र वयस्क निवासी कोटडी तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (राजस्थान)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब कोटडी तहसील कोटडी **विपक्षीगण**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

-:: आदेश ::-

दिनांक ....

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 11/02/2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम कोटडी, पटवार हल्का कोटडी, भू.अ. क्षैत्र कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि की आराजी संख्या 1526 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1527 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 1528 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1530 रकबा 1 बिस्वा गेमु खडा, आराजी संख्या 1538 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 1539 रकबा 5 बिस्वा गेमु आचा, आराजी संख्या 1546 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल कीता 7 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक **कोटडी** को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

-:: आदेश ::-

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके **ग्राम कोटडी, पटवार हल्का कोटडी, भू.अ. क्षैत्र कोटडी, तहसील कोटडी जिला भीलवाडा की सरहद मे खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि की आराजी संख्या 1526 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 1527 रकबा 1 बीघा, आराजी संख्या 1528 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 1530 रकबा 1 बिस्वा गेमु खडा, आराजी संख्या 1538 रकबा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 1539 रकबा 5 बिस्वा गेमु आचा, आराजी संख्या 1546 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल कीता 7 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा** भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथि निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 500 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को ... आदेशक की पत्थरगढी करावकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा